रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 308] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1986/श्रावण 8, 1908
No. 308] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1986/SRAVANA 8, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

कलकत्ता, 30 जुलाई, 1986

अधिसूचना

का०आ० 431(अ):—पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदान की गई और भारत सरकार की अधिसूचना के साथ जो कि पिछले वाणिज्य मंत्रालय के (विदेश व्यापार विभाग) संख्या का०आ० 517 ई० 25 सितम्बर 1973 को पढ़ी गई थी, की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बिमल पाण्डेय, पटसन उपायुक्त, एतद्द्वारा बी ट्वील्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र की साइज 112.4 सेंटीमीटर × 67.5 सेंटी मीटर साम्य वजन सिला किनारा 112.00 सेंटी मीटर × 67.5 सेंटी मीटर सिला, 1020 ग्राम प्रति बोरा 6 × 8, 3-सीले शुष्क सिला है तथा अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा०मा० (2566–1984 अद्यतन संशोधित)

के अनुरूप है, अधिकतम बहिनिर्माणी कीमत 703.32 रुपया प्रति एक सौ बोरा नियत करता हूं। इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय जुलाई 1986 महीने के दौरान किया जायेगा ।

इस अधिसूचना के अधीन नियत की गई एक मात्र कीमत उत्पादन शुल्क उपकर जो पटसन निर्माण उपकर अधिनियम 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जो क्रेता को वास्तविक खर्च के अनुसार बहिनिर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फाइल सं० 8/1/86-जूट]
बिमल पाण्डेय, पटसन उपायुक्त

## MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

Calcutta, the 30th July, 1986

## NOTIFICATION

S.O. 451 (E) :—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing & Control) Order, 1961, read with the notification of the Government of India in the Late Ministry of Commerce (Department of Foreign Trade) No. S.O. 517 E dated the 25th September, 1973, I, B. Pande, Deputy Jute Commissioner hereby fix Rs. 703.32 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 112.4 Cms. × 67.5 Cms. Hd. W.I.P. 112.0 Cms. × 67.5 Cms. Hd. 1020 gms. per bag, 6 × 8, 3 blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. ISI 2566-1984 as amended upto-date) shall be purchased or sold during the month of July, 1986.

2. The price fixed under this notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983, and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8|1|86-Jute]
B. PANDE, Dy. Jute Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUPLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986